न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 09/23

राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी(अभि) श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

श्रीताराचन्द पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 28 लीटर पेट्रोल मय एक प्लास्टिक गैलन को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी ताराचन्द स्वयं

निर्णय दिनांक 21.08.2023

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आ0व0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि दिनांक 06.08.2023 को अवैध पेट्रोल व डीजल को ब्रिकी की शिकायतों की जांच हेतु श्री योगेश देवल उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के नेतृत्व में बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर के अंग्रेज सिंह की दुकान सादुलशहर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी अंग्रेजसिंह पुत्र देसराज जाति ओड राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 17, सादुलशहर एवं श्री ताराचन्द पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर उपस्थित मिले। मौके पर दुकान की जांच करवाने पर दुकान में मोटर रिपेयर करने का सामान आदि रखा हुआ है। दुकान की जांच करने पर दुकान मे एक नील रंग के गैलन मे 28 लीटर पेट्रोल पाया गया। पुछताछ करने पर श्री ताराचन्द पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने पेट्रोल मय गैलन स्वंय का होना स्वीकार किया। मौके पर कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नही किया। मौके पर अप्रार्थी ताराचन्द से पेट्रोल को बेचान करने सम्बन्धी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र मांगने पर बताया कि उसके पास ऐसा कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र नहीं है। अतः मौके पर पाया गया एक नीले रंग के गैलन मे 28 लीटर पेट्रोल को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके पर जब्त किया गया कुल 28 लीटर पेट्रोल मय गैलन को मौके पर ही श्री विजयकुमार पुत्र कश्मीरी लाल वधवा उचित मूल्य दुकानदार कडवाला तहसील सादुलशहर की सुपुर्दगी मे दिया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः अप्रार्थी ताराचन्द ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ), 3 (4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अप्रार्थी ताराचन्द से मौके पर जब्त किये गये 28 लीटर पेट्रोल मय एक प्लास्टिक गैलन को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी ताराचन्द के खिलाफ संज्ञान लिया गया। ताराचन्द को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ताराचन्द ने अपने जवाब मे कथन किया कि प्रार्थी के पास एक कार मारूति नम्बर आर जे 13 सीवी 8892 का रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी ने अपनी व्यक्तिगत कार को दिनांक 06.08.2023 को करीब 11.00 बजे दिन मे अपनी कार के टंकी मे पैट्रोल 24.500 लीटर दशमेश पिटा फीलिंग स्टेशन गाव राजपुरा पैट्रोल पम्प से भरवाकर अपने गाव खाटसजवार तहसील सादुलशहर को जा रहा था तभी बीच रास्ते मे कार के टंकी लीकेज हो गयी। जिसमे तेल निकलने लगा तो प्रार्थी ने कार को सादुलशहर मे अग्रेज सिंह पुत्र देशराज जाति ओड राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 17 सादुलशहर के दुकान के सामने खडा कर दिया था वहा पर सामने से किसी दूसरे मिस्त्री को बुलाकर गाडी की टंकी खुलवाकर टंकी मे भरा हुआ तेल बट्ठल मे डालकर गैलन मे भरवा दिया तब प्रार्थी ने टंकी को विल्डिंग करवाने के लिए किसी अन्य मिस्त्री के पास लेकर गया। पीछे से एक कर्मचारी एसडीएम दफतर का सादुलशहर पीछे से आकर प्रार्थी की गाडी मे से निकाले गये तेल के गैलन को जब्त कर लिया उक्त जब्त शुद्धा 28 लीटर पेट्रोल को अपने कब्जे मे ले लिया। अतः जवाब नोटिस पेशकर निवेदन है कि जब्तशुदा 28 लीटर पेट्रोल मय गैलन प्रार्थी को वापिस दिलवाया जावे। उक्त जब्तशुदा पेट्रोल प्रार्थी की कार से टंकी लिकेज होने के कारण निकाला गया था। दशमेश पिटा फीलिंग स्टेशन राजपुरा से कार मे भरवाये गये पेट्रोल की रसीद की फोटो प्रति सलंग्न है।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस मे व्यक्त किया है कि दिनांक 06.08.2023 को अवैध पेट्रोल व डीजल को ब्रिकी की शिकायतों की जाच हेतु श्री योगेश देवल उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के नेतृत्व में बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर के अंग्रेज सिंह की दुकान सादुलशहर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी अंग्रेजसिंह पुत्र देसराज जाति ओड राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 17, सादुलशहर एवं श्री ताराचन्द पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर उपस्थित मिले। मौके पर दुकान की जांच करवाने पर दुकान में मोटर रिपेयर करने का सामान आदि रखा हुआ है। दुकान की जांच करने पर दुकान मे एक नीले रंग के गैलन मे 28 लीटर पेट्रोल पाया गया। पुछताछ करने पर श्री ताराचन्द पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने पेट्रोल मय गैलन स्वंय का होना स्वीकार किया। मौके पर कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नही किया। मौके पर अप्रार्थी ताराचन्द से पेट्रोल को बेचान करने सम्बन्धी कागजात/अनुमति/ अनुज्ञापत्र मांगने पर बताया कि उसके पास ऐसे कोई कागजात/अनुमति/ अनुज्ञापत्र नही है। अतः मौके पर पाया गया एक नीले रंग के गैलन मे 28 लीटर पेट्रोल को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके पर जब्त किया गया कुल 28 लीटर पेट्रोल मय गैलन को मौके पर ही श्री विजयकुमार पुत्र कश्मीरी लाल वधवा उचित मुल्य दुकानदार कडवाला तहसील सादुलशहर की सुपुर्दगी मे दिया। अतः अप्रार्थी ताराचन्द ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ), 3 (4), 4 का स्पष्ट उल्लघन है। अतः अप्रार्थी ताराचन्द से मौके पर जब्त किये गये 28 लीटर पेट्रोल मय एक प्लास्टिक गैलन को राजसात करने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ताराचन्द ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के पास एक कार मारूति नम्बर आर जे 13 सीबी 8892 का रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी ने अपनी व्यक्तिगत कार को दिनांक 06.08.2023 को करीब 11.00 बजे दिन मे अपनी कार के टंकी में पैट्रोल 24.500 लीटर दशमेश पिता फीलिंग स्टेशन गांव राजपुरा पैट्रोल पम्प से भरवाकर अपने गांव खाटसजवार तहसील सादुलशहर को जा रहा था तथी बीच रास्ते में कार के टंकी लीकेज हो गयी। जिसमें तेल निकलने लगा तो प्रार्थी ने कार को सादुलशहर में अंग्रेज सिंह पुत्र देशराज जाति ओड राजपुत निवासी वार्ड नम्बर 17 सादुलशहर के दुकान के सामने खड़ा कर दिया था वहां पर सामने से किसी दूसरे मिस्त्री को बुलाकर गाड़ी की टंकी खुलवाकर टंकी में भरा हुआ तेल बट्ठल में डालकर गैलन में भरवा दिया तब प्रार्थी ने टंकी को विल्डिंग करवाने के लिए किसी अन्य मिस्त्री के पास लेकर गया। पीछे से एक कर्मचारी एसडीएम दफतर का सादुलशहर पीछे से आकर प्रार्थी की गाड़ी में से निकाले गये तेल के गैलन को जब्त कर लिया उक्त जब्त शुद्वा 28 लीटर पेट्रोल को अपने कब्जे में ले लिया। अतः जवाब नोटिस पेशकर निवेदन है कि जब्तशुदा 28 लीटर पेट्रोल मय गैलन प्रार्थी को वापिस दिलवाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 06.08.2023 को अवैध पेट्रोल व डीजल को ब्रिकी की शिकायतों की जांच हेतु श्री योगेश देवल उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के नेतृत्व में बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर के अंग्रेज सिंह की दुकान सादुलशहर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी अंग्रेजसिंह पुत्र देसराज जाति ओड राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 17, सादुलशहर एवं श्री ताराचन्द पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर उपस्थित मिले। मौके पर दुकान की जांच करवाने पर दुकान में मोटर रिपेयर करने का सामान आदि रखा हुआ है। दुकान की जांच करने पर दुकान में एक नीले रंग के गैलन में 28 लीटर पेट्रोल पाया गया। पुछताछ करने पर अप्रार्थी ताराचन्द से पेट्रोल को बेचान करने सम्बन्धी कागजात/अनुमति/ अनुज्ञापत्र मांगने पर बताया कि उसके पास ऐसे कोई कागजात/अनुमति/ अनुज्ञापत्र नहीं है। अतः मौके पर पाया गया एक नीले रंग के गैलन में 28 लीटर पेट्रोल को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर मौके पर ही श्री विजयकुमार पुत्र कश्मीरी लाल वधवा उचित मुल्य दुकानदार कड़वाला तहसील सादुलशहर की सुपुर्दगी में दिया।

इस प्रकार अप्रार्थी ताराचन्द ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ), 3 (4), 4 का स्पष्ट अवहेलना करने के कारण जब्त शुदा 28 लीटर पेट्रोल मय नीले रंग का गैलन को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर